भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3623

सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण 1948 (शक)

ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा लाभ

3623. **श्री बाबू सिंह कुशवाहा:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से गिग इकोनॉमी में कार्यरत डिलीवरी पार्टनर्स और ऑनलाइन प्लेटफार्म कामगारों को न्यूनतम मजदूरी, स्वास्थ्य बीमा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जौनपुर सहित उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में असंगठित श्रमिकों को ई-श्रम पंजीकरण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त मुद्दे के समाधान के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार जौनपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के असंगठित क्षेत्र में युवाओं को औद्योगिक इकाइयों और परियोजनाओं में रोजगार प्रदान करने के लिए ई-श्रम डाटाबेस का उपयोग करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ई-श्रम के अंतर्गत पंजीकृत कामगारों के लिए पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और सतत आजीविका सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक नीति लागू करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): दिनांक 21 नवंबर 2025 को प्रभावी हुई है, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, गिग कामगारों और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों की परिभाषाएं प्रदान करती है तथा उनकी सामाजिक सुरक्षा और कल्याण से संबंधित विशिष्ट उपबंध निर्धारित करती है।

जारी–2/-

यह संहिता, जीवन और निःशक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधाओं, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों हेतु उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाएं तैयार करने का उपबंध करती है। यह संहिता इन कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना का प्रावधान करती है। इस संहिता में गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के प्रयोजनों के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन करने के उपबंध भी शामिल है।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 08.05.2026 को अधिसूचित सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2026, गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों को औपचारिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये नियम, केंद्र सरकार के पोर्टल पर गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाकर, संहिता के प्रावधानों को क्रियान्वित करते हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म कामगारों, प्रवासी कामगारों आदि सहित असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयुडब्लू) बनाने के लिए दिनांक 26.08.2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) का शुभारंभ किया था। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करके उन्हें पंजीकृत करना और सहायता प्रदान करना है।

ई-श्रम पोर्टल पर 31.85 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों को पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 8.46 करोड़ पंजीकरण और जौनपुर जिले में 21,61,909 पंजीकरण शामिल हैं।

असंगठित कामगारों के लिए ई-श्रम और उससे जुड़ी सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच को और बढ़ाने के लिए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 24 फरवरी 2025 को आधिकारिक तौर पर ई-श्रम मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। यह एप्लीकेशन ई-श्रम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत कल्याणकारी योजनाओं तक वास्तविक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है, जिससे पहुंच और प्रयोक्ता की सुविधा दोनों में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है।

बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के विज़न के अनुरूप, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम–"वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" का शुभारंभ किया, जो सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं का एक ही पोर्टल पर एकीकरण करता है और ई-श्रम पर पंजीकृत प्लेटफार्म आधारित गिग कामगारों सहित असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंचने और ई-श्रम के माध्यम से अब तक उनके द्वारा प्राप्त किए गए लाभों को देखने में समर्थ बनाता है।

जारी-3/--

अब तक, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की पंद्रह(15) योजनाओं को ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है, ताकि ई-श्रम कार्डधारकों को सामाजिक सुरक्षा, योजनाओं का लाभ और पहुंच प्रदान की जा सके, इनमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी आरएएम जी), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) आदि शामिल हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, ई श्रम, कौशल विकास के लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच), पेंशन के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयुए) के कन्वर्जेंस पोर्टल के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे ई-श्रम कार्डधारक अतिरिक्त सेवाओं का लाभ उठाने में समर्थ बन रहे हैं।

रोजगार के अवसरों के लिए ई-श्रम पोर्टल को राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल के साथ भी एकीकृत किया गया है। यह एकीकरण, ई-श्रम पर पंजीकृत प्रयोक्ताओं को राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल पर उपलब्ध नौकरियों की खोज और संबंधित सुविधाएं जैसी विभिन्न प्रकार की सेवाओं का लाभ उठाने में समर्थ बनाता है। राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल, देश के नौकरी चाहने वाले लोगों को रोजगार के अवसर और करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने की सुविधा के लिए नियोक्ताओं और नौकरी चाहने वालों को एक मंच पर लाता है।
